उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–10 / 2021–22

सरकार

–बनाम–

शोभा देवी वगै0

आ दे श

वर्तमान वाद की पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2259 / अप0शा0 दिनांक –27.10.2019 के द्वारा वादी जिला खनन पदाधिकारी गुमला के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर गुमला थाना काण्ड सं0–239 / 2019 दिनांक–21.07.2019 धारा–414 / 34 भा0दा0वि0 एवं 4 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम–1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 एवं 9 / 13 बिक्रेता नियमावली–2017 के तहत अवैध रुप से बालू चोरी कर ले जाने के आरोप में जप्त हाईवा ट्रक निबंधन सं0 –JH07H- 5240 के मालिक शोभा देवी पति–श्याम सुन्दर महतो साकिन–पिलखी मोड़ सिसई थाना–सिसई जिला–गुमला एवं हाईवा ट्रक निबंधन सं0– JH10AE- 9542 के मालिक मनु गोसाई पिता–सीताराम गोसाई साकिन–गोमिया थाना–गोमिया जिला–बोकारो के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि जिला खनन पदाधिकारी गुमला के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त जप्त हाईवा ट्रक निबंधन सं0 –JH07H- 5240 के मालिक शोभा देवी पति–श्याम सुन्दर महतो साकिन–पिलखी मोड़ सिसई थाना–सिसई जिला–गुमला एवं हाईवा ट्रक निबंधन सं0– JH10AE- 9542 के मालिक मनु गोसाई पिता–सीताराम गोसाई साकिन–गोमिया थाना–गोमिया जिला–बोकारो के विरुद्ध अवैध रुप से बालू चोरी कर परिवहन करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 (यथा) संशोधित) के नियम–4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा–4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम–7 एवं 13 के तहत् मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, नोटिस तामिला के बाद भी विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को कुछ नही कहना है। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त वाहन हाईवा ट्रक निबंधन सं0 –JH07H- 5240 एवं हाईवा ट्रक निबंधन सं0– JH10AE-9542 के द्वारा बालू चोरी के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:–

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing

any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0–360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence,the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नही रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नही होने के कारण उसको अवैध रुप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है। अभी तक किसी के द्वारा उक्त वाहन एवं बालू के संबंध में claim (दावा) नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं ट्रैक्टर निबंधन सं0 –JH02AH- 1131 को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

30.07.22

उपायुक्त,
गुमला

30.07.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 17:27:46 +05:30
Location: 192.168.5.104